

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-06/वि0पत्रा0-24-78/2023

पटना, दिनांक-

श्री पंकज कुमार सिंह, राज्य-कर सहायक आयुक्त (60-62वीं बैच), झंझारपुर अंचल, झंझारपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-01.09.2024 से 30.09.2024 तक कुल 30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री सिंह के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (168-30=138) (एक सौ अड़तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

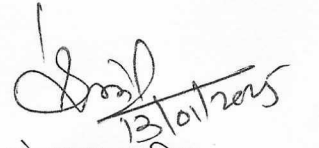
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06/वि0पत्रा0-24-78/2023

187

पटना, दिनांक- 14/01/2025

प्रतिलिपि:-वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधुबनी/राज्य-कर उपायुक्त (प्रभारी), झंझारपुर अंचल, झंझारपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री पंकज कुमार सिंह, राज्य-कर सहायक आयुक्त (60-62वीं बैच), झंझारपुर अंचल, झंझारपुर को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।